



न्यायालय: वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी - मोहन लाल (आर.जे.एस.)
विविध दीवानी प्रार्थना पत्र संख्या - 29/2022 (B.T. No. 41/2025)
CIS Registration No - **Civil Misc. Connected** (41)/41/2025
CNR No. - **RJJH230001472025**

गोरधन मित्तल पुत्र मोतीलाल मित्तल, निवासी पुजारी कॉलोनी वार्ड नंबर 16 चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.)

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.)
2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.)
3. अध्यक्ष, नगरपालिका चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.)

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थित-

01. विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार - प्रार्थी
02. विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश आर्य- अप्रार्थी संख्या 1
03. विद्वान अधिवक्ता श्री भीम सिंह - अप्रार्थी संख्या 2 व 3

--००आदेश००--

दिनांक 15.05.2026

01. इस आदेश द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण किया जा रहा है। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी गोरधन मित्तल की ओर से माननीय सिविल न्यायाधीश, चिड़ावा के समक्ष दिनांक 23.11.2022 को पेश किया गया। कालांतर में इस न्यायालय के नव सृजन उपरांत यह प्रार्थना पत्र माननीय जिला एंव सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं के आदेश क्रमांक/स्थापना/2025/6393 दिनांक 23.05.2025 की पालना में अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया है।



02. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसील चिड़ावा के कस्बा चिड़ावा में प्रार्थी का क्रय शुदा प्लॉट संख्या 58 स्थित है। जिसका माप, भुजा व हदुद निम्न प्रकार है:—उत्तर भुजा 23 फुट 10 इंच, दक्षिण भुजा 23 फुट 09 इंच, पूर्व भुजा 17 फुट 06 इंच व पश्चिम भुजा 25 फुट 04 इंच कुल क्षेत्रफल—628.44 वर्गफुट, 69.83 वर्गगज है। उत्तर दिशा में झुन्झुनू—चिड़ावा सड़क, दक्षिण दिशा में दुकान प्लॉट संख्या 60, पूर्व दिशा में रास्ता 18 फुट चौड़ा, पश्चिम दिशा में दुकान प्लाट संख्या 59 स्थित है। उक्त प्लॉट/दुकान को प्रार्थी ने गत दिनांक 8.11.2021 को 10 लाख रुपये में क्रय कर लिया एवं क्रय किये जाने का इकरारनामा उसके मालिक रमेश गाड़िया पुत्र स्व. शंकरलाल गाड़िया निवासी बी-18 गणेश कॉलोनी बस स्टेण्ड के पास पिलानी से दिनांक 20.11.2021 को लिखवाकर एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर नोटेरी पब्लिक हरचंद पिलानिया से सत्यापित करवाकर कब्जा प्राप्त कर लिया। प्रार्थी ने उक्त दुकान/प्लॉट दिनांक 20.11.2021 को क्रय किया तब उक्त प्लॉट/दुकान में बेसमेन्ट, ग्राउण्ड फ्लोर व प्रथम मंजिल का निर्माण किया हुआ था। जिसको उक्त भूमि प्लॉट के मालिक रमेश गाड़िया ने पूर्व में करवाया था एवं उक्त दुकान/प्लॉट को क्रय किये जाने के बाद उक्त दुकान/प्लॉट पर एक मंजिल द्वितीय का निर्माण प्रार्थी ने करवा लिया एवं उक्त दुकान/प्लॉट में अपना व्यापार करता है तथा उपर के मकानों में रिहायश कर रहा है। उक्त प्लॉट/दुकान नगर पालिका चिड़ावा के कर निर्धारण सूचि सन् 1975-76 के क्रमांक संख्या 281 पर मकान संख्या 281 पर फाईल नम्बर 09 दिनांक 11.03.2000 द्वारा मकान नम्बर 281 में से 4092.11 वर्गगज परमात्मी देवी पत्नी गोरीशंकर शेखसरिया की बजाय शंकरलाल गड़िया, अंशुमान, अनुराग, श्रीमती प्रति, श्रीमती माया देवी के नाम से दर्ज है। इस प्रकार उक्त दुकान/प्लॉट के मालिक उक्त व्यक्ति है जिनके आपसी विभाजन के अनुसार उक्त दुकान/प्लॉट की भूमि शंकरलाल गाड़िया के हिस्से में आयी व उक्त भूमि/प्लॉट को शंकरलाल के वारिस होने के नाते रमेश गाड़िया ने वादी को विक्रय की, जिसके बाद से उक्त दुकान/प्लॉट पर प्रार्थी काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूमि/प्लॉट को राजकीय एवं सरकारी भूमि मानते हुए अन्तर्गत धारा 91 भू. राजस्व अधिनियम का नोटिस भेजा कि उक्त दुकान/प्लॉट की भूमि राजकीय रिकार्ड में खसरा नम्बर 1001 रकबा 1.01 हैक्टर गैर मुमकिन जोहड़ है तथा उसने उक्त राजकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है इसलिए क्यों न उसको बेदखल कर दिया जावे एवं उक्त नोटिस की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को बेदखल करने पर



आमादा है जबकि प्रार्थी द्वारा निर्मित दुकान/प्लॉट की भूमि राजकीय भूमि नहीं है। उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 874 की भूमि में से है। हाल खसरा नम्बर 1001 रकबा 1.31 हेक्टर द्वितीय भू-प्रबन्ध से पूर्व के गत खसरा नम्बर 865 व 874 के विभिन्न हिस्से 874/7/1, 874/8/1, 874/8, 874/8/3, 874/8/2, 874/8/1/1 व 874/6 से मिलकर बना है तथा गत खसरा नम्बर 874 पूर्व में निजी खातेदारी में दर्ज रहा है तथा उक्त भूमि के पूर्व खातेदारो ने उक्त भूमि विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर दी। उक्त भूमि की क्रेता एवं खातेदार काशतकार परमात्मा देवी पत्नी गोरीशंकर शेखसरिया ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 874/8/1/1 की 2 बीघा 5 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 874/8/2 की ढाई बिस्वा एवं गत खसरा नम्बर 808/1 की 1 बीघा 13 बिस्वा कुल 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर काबिज काशत थी। इस प्रकार उक्त परमात्मा देवी उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 874 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि रकबा लगभग 0.62 हैक्टर भूमि पर काबिज काशत थी। इस प्रकार उक्त भूमि खसरा नम्बर 1001 रकबा 1.01 हैक्टर में से करीब 0.62 हैक्टर भूमि उक्त भूमि की पूर्व खातेदार परमात्मा देवी पत्नी गोरीशंकर शेखसरिया की खातेदारी की एवं शेष भूमि में से 874/8/1 रकबा 3 बिस्वा लगभग 0.05 हैक्टर भूमि पूर्व खातेदार परमात्मा देवी पत्नी मगराज की खातेदारी की गत खसरा नम्बर 874/7/1 की 4 बिस्वा के लगभग बबलूराम पुत्र बुद्धराम माली की, गत खसरा नम्बर 874/8 की 8 बिस्वा लगभग 0.10 हैक्टर झीमा देवी पत्नी जुगलकिशोर की खातेदारी की गत खसरा नम्बर 874/8/3 की 3 बिस्वा लगभग 0.05 हैक्टर ताराचन्द पुत्र गणपत नाई की खातेदारी की तथा गत खसरा नम्बर 874/6 की 2 बिस्वा यानि 0.03 हैक्टर भवानी सिंह बी.ए. सम्पादक की खातेदारी की भूमि, इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 1001 की 1.31 हैक्टर में करीब 0.89 हैक्टर भूमि खातेदारी की व शेष 0.42 हैक्टर भूमि गत खसरा नम्बर 865 की से मिलकर बना है। उक्त भूमि में निजी खातेदारी की भूमि शामिल कर द्वितीय भू-प्रबन्ध अभियान के दौरान नया खसरा नंबर 1001 रकबा 1.31 हेक्टर गै.मु. जोहड दर्ज कर दिया गया । जिसका भू-प्रबन्ध विभाग को कोई हक व अधिकार नहीं था। लेकिन भू-प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी हक व अधिकार के उक्त आराजी खसरा नम्बर 1001 को रिकार्ड परिवर्तित करते हुए कायम कर दिया। उक्त भूमि का रिकार्ड कायम करते समय सैटलमेण्ट अधिकारी व कर्मचारियो ने गै.मु. जोहड व निजी खातेदारी की भूमि को मिलाकर नया रिकार्ड कायम कर दिया एवं निजी खातेदारी की भूमि की किस्म परिवर्तित कर



बारानी भूमि को जोहड दर्ज कर दिया तथा उक्त भूमि को जोहड दर्ज किये जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 उक्त राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है जिसका कानूनी मूल रूप से अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1001 रकबा 1.31 हैक्टर में से 1001/2/2 की 0.25 हैक्टर की उमाशंकर सुलतानिया के नाम से तथा खसरा नम्बर 1001/2/1/2 की 0.01 हैक्टर चण्डी प्रसाद तथा खसरा नम्बर 1001/2/1/1 की 0.04 हैक्टर जगदीश प्रसाद के नाम से राजस्व रिकार्ड में निर्णय व आदेश श्रीमान न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी झुन्झुनू के आदेश दिनांक 19.02.2002 के द्वारा निजी खातेदारी में दर्ज हो गयी, जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 1001 रकबा 1.01 हैक्टर निजी खातेदारी की रही है, जिसका राजस्व रिकार्ड दौराने भू-प्रबन्ध अभियान गलत कायम कर दिया गया तथा उक्त गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर तहसीलदार चिड़ावा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जबकि प्रार्थी अपने उक्त प्लॉट/दुकान पर शांति पूर्वक काबिज है तथा प्रार्थी/वादी ने अपने उक्त प्लॉट / दुकान में अपने नाम से विद्युत कनेक्शन एवं जल सम्बंध ले रखा है तथा शांति पूर्वक काबिज होकर अपनी दुकान में व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 को निजी खातेदारी भूमि एवं नगर पालिका में दर्ज भूमि का धारा-91 भूराजस्व अधिनियम को नोटिस देने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है तथा उक्त नोटिस प्रार्थी के दिवानी अधिकारों के विरुद्ध है। अप्रार्थी सं.1 उक्त भूमि से जबरन प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है एवं बिना किसी आधार के उक्त भूमि बाबत प्रार्थी के खिलाफ अवैधानिक कार्यवाही करने पर आमादा है, अगर अप्रार्थी संख्या 1 ऐसा करने में अपने मनसुबो में सफल हो जायेंगे तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद असम्भव है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में भलि भांति साबित है। अंत में प्रार्थना पत्र में मांगे गए अनुतोष मुताबिक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

03. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में वर्णित अधिकांश अभिकथनों को अस्वीकार करते हुये अभिकथन किया है कि विवादित भूमि कतई आबादी भूमि नहीं है बल्कि खसरा नं. 1001 रकबा 1.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन



जोहड़ की भूमि है जिस पर प्रार्थी ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है जिस बाबत प्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार चिडावा के यहां उनवानी प्रकरण सरकार बनाम गोरधन मित्तल मुकदमा नं. 32/2022 विचाराधीन है। खसरा नं. 1001 किस्म जमीन गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि को किसी को भी विक्रय क्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन जोहड़ भूमि होने से किसी को क्रय विक्रय करने का अधिकार नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन जोहड़ भूमि होने से तथाकथित इकरारनामों प्रारम्भतः ही शून्य व निष्प्रभावी है तथा नगरपालिका इन्टरी से गैर मुमकिन जोहड़ भूमि पर प्रार्थी को कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है तथा प्रार्थी एक अतिक्रमी है जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रार्थी को प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन जोहड़ भूमि खसरा नं. 1001 पर अतिक्रमण के संबंध में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया जाना स्वीकार है। राजकीय गैर मुमकिन जोहड़ भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में नोटिस देने का व अतिक्रमण हटाने का अप्रार्थी नं. 1 को पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी को गैर मुमकिन जोहड़ भूमि बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार न होने से प्रार्थना— पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थी एक अतिक्रमी है जिस अतिक्रमण को हटाने का अप्रार्थी नं. 1 को पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है तथा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41 के तहत किसी लोक सेवक को विधिनुसार पदीय कार्य करने से निषेधाज्ञा से नहीं रोका जा सकता है। प्रश्नगत भूमि राजकीय गैर मुमकिन जोहड़ भूमि है जिस पर प्रार्थी द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी का कतई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है तथा न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि गैर मुमकिन जोहड़ भूमि होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी बी सिविल रिट पीटीशन नं. 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 द्वारा भी प्रतिबन्धित है जिस पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

04. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में वर्णित अधिकांश अभिकथनों को अस्वीकार करते हुये अभिकथन किया है कि प्रश्नगत भूमि नगर पालिका चिडावा के कर निर्धारण सूचि सन 1975-76 के क्रमांक संख्या



281 पर नगर पालिका चिड़ावा के रिकॉर्ड में दर्ज होना स्वीकार है। प्रकरण राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से संबन्धित है तथा नगर पालिका चिड़ावा को बेवजह की प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की हैसियत से संयोजित किया गया है जिसका कोई विधिपूर्ण औचित्य नहीं है, जिससे केवल राजस्थान सरकार के समय व धन की बर्बादी होना लाजमी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

05. सुना गया। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र से संबंधित सुसंगत विधि का परिशीलन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार करना होता है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्ण्य क्षति

-प्रथम दृष्टया मामला-

06. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/वादी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इन अभिवचनों के प्रस्तुत किया गया है कि विवादित दुकान/प्लाट संख्या 58 प्रार्थी का क्रयशुदा है, जो उसने दिनांक 8.11.2021 को 10 लाख रूपये में जरिये इकरारनामा रमेश गाड़िया पुत्र स्व. शंकरलाल गाड़िया से दिनांक 20.11.2021 को इकरारनामा लिखवाकर रूबरू गवाहान नोटेरी पब्लिक हरचंद पिलानिया से सत्यापित करवाकर कब्जा प्राप्त कर लिया। उक्त प्लॉट/दुकान नगर पालिका चिड़ावा के कर निर्धारण सूचि सन् 1975-76 के क्रमांक संख्या 281 पर मकान संख्या 281 पर फाईल नम्बर 09 दिनांक 11.03.2000 द्वारा मकान नम्बर 281 में से 4092.11 वर्गगज परमात्मी देवी पत्नी गोरीशंकर शेखसरिया की बजाय शंकरलाल गाड़िया, अंशुमान, अनुराग, श्रीमती प्रति, श्रीमती माया देवी के नाम से दर्ज है। प्रार्थी/वादी विवादित दुकान/प्लाट को क्रय किये जाने के बाद उस पर द्वितीय मंजिल का निर्माण करवाया जाकर दुकान में अपना व्यवसाय कर रहा है और उस पर बने मकानों में रिहायश कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी के क्रयशुदा विवादित प्लाट/दुकान को राजकीय सरकारी भूमि मानते हुये अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का नोटिस



भिजवाया गया, जिसमें विवादित दुकान/प्लॉट की भूमि राजकीय रिकार्ड में खसरा नम्बर 1001 रकबा 1.01 हैक्टर गैर मुमकिन जोहड़ होना दर्शित करते हुये प्रार्थी के कब्जे को अतिक्रमण मानते हुये बेदखल करने की धमकी दी गयी है। जबकि प्रार्थी की दुकान/प्लॉट की भूमि राजकीय भूमि नहीं है। अपितु गत खसरा नम्बर 874 की भूमि में से है। द्वितीय भू-प्रबन्ध से हाल खसरा नम्बर 1001 रकबा 1.31 हेक्टर, पूर्व के गत खसरा नम्बर 865 व गत खसरा नम्बर 874 के विभिन्न हिस्सो से मिलकर बना है तथा खसरा नम्बर 874 पूर्व में निजी खातेदारी में दर्ज रहा है तथा जिसके पूर्व खातेदारो के नाम भूमि दर्ज रही है और वे इस भूमि पर काबिज काशत हुये। उक्त भूमि की क्रेता एवं खातेदार काशतकार परमात्मा देवी खसरा नम्बर 874 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि रकबा लगभग 0.62 हैक्टर भूमि पर काबिज काशत थी। इस प्रकार खसरा नम्बर 1001 रकबा 1.01 हैक्टर में से करीब 0.62 हैक्टर भूमि उक्त भूमि की पूर्व खातेदार परमात्मा देवी पत्नी गोरीशंकर शेखसरिया की खातेदारी की एवं शेष भूमि में से 874/8/1 रकबा 3 बिस्वा लगभग 0.05 हैक्टर भूमि पूर्व खातेदार परमात्मा देवी पत्नी मगराज की खातेदारी की रही। खसरा नम्बर 1001 की 1.31 हैक्टर में करीब 0.89 हैक्टर भूमि खातेदारी की व शेष 0.42 हैक्टर भूमि गत खसरा नम्बर 865 से मिलकर बना है। उक्त भूमि में निजी खातेदारी की भूमि शामिल कर द्वितीय भू-प्रबन्ध अभियान के दौरान नया खसरा नम्बर 1001 रकबा 1.31 हेक्टर गै.मु. जोहड़ दर्ज कर दिया गया । जिसका भू-प्रबन्ध विभाग को कोई हक व अधिकार नहीं था। यह भूमि जोहड़ दर्ज किये जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 उक्त राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। श्रीमान न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी झुन्झुनू के आदेश दिनांक 19.02.2002 के द्वारा खसरा नम्बर 1001 रकबा 1.31 हैक्टर में से 0.25 हैक्टर की उमाशंकर सुलतानिया व 0.01 हैक्टर चण्डी प्रसाद तथा 0.04 हैक्टर जगदीश प्रसाद के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का आदेश दिया गया। जिससे भी स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 1001 रकबा 1.01 हैक्टर निजी खातेदारी की रही है, जिसका राजस्व रिकार्ड दौराने भू-प्रबन्ध अभियान गलत कायम कर दिया गया तथा उक्त गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर तहसीलदार चिड़ावा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जबकि प्रार्थी अपने उक्त प्लॉट/दुकान पर शांति पूर्वक काबिज है तथा अपने उक्त प्लॉट / दुकान में अपने नाम से विद्युत कनेक्शन एवं जल सम्बंध ले रखा है तथा दुकान में व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अप्रार्थी



सं.1 धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अवैध व अवैधानिक रूप से कार्यवाही करते हुये प्रार्थी को उसके कब्जेशुदा दुकान/प्लाट से बेदखल करने पर आमादा है, जिसके कारण प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

07. प्रार्थी की ओर से अपने अभिवचनो के समर्थन में विक्रय इकरारनामा दिनांकित 20.11.2021 व नक्शा, कर निर्धारण सूची नगरपालिका चिडावा 1975-76, बिजली व पानी के बिल की फोटोप्रति, तहसीलदार चिडावा की ओर से प्रेषित नोटिस धारा 91 भू राजस्व अधिनियम दिनांकित 14.09.2022 व नोटिस के आधार पर की जा रही कार्यवाही की पत्रावली की आदेशिका की प्रति व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा जमाबंदी की फोटोप्रति व नामान्तरण संबंधी दस्तावेजात की फोटोप्रति को पेश किया गया है।

08. जिसका विरोध करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने यह अभिवचन किये है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि किस्म गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि है और इस भूमि को किसी भी व्यक्ति को विक्रय क्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। इस भूमि के संबंध में किये गये इकरारनामें प्रारम्भतः ही शून्य व निष्प्रभावी है तथा नगरपालिका के कर निर्धारण रजिस्टर में प्रविष्टि के आधार पर गैर मुमकिन जोहड़ भूमि पर प्रार्थी को कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है तथा प्रार्थी की हैसियत एक एक अतिक्रमी की है, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुये हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी बी सिविल रिट पीटीशन नं. 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 द्वारा भी प्रार्थी प्रतिबंधित है और गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

09. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी बी सिविल रिट पीटीशन नं. 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिये गये है और हस्तगत प्रकरण में विवादित प्लाट/दुकान की भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन जोहड़ के रूप में दर्ज होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार के द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत



प्रार्थी को नोटिस भिजवाया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों से भी यह प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर उसे दिये गये नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा किये गये अभिवचनों से भी यह प्रकट होता है कि खसरा नंबर 1001 रकबा 1.31 हैक्टेर गैर मुमकिन जोहड द्वितीय भू प्रबंधन के दौरान गलत रूप से दर्ज किया जाना बताया गया है और इस संबंध में जिन खातेदारों के द्वारा श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी झुन्झुनूं के समक्ष चाराजोही की गयी है, उनके पक्ष में दिनांक 19.02.2002 को आदेश भी पारित हुआ है। परन्तु प्रार्थी व जिन खातेदारों से उसके द्वारा भूमि खरीद की गई है उनकी ओर से ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना प्रकट नहीं होता है और ना ही आज दिनांक तक प्रार्थी की ओर से द्वितीय भू प्रबंधन के दौरान गलत रूप से खसरा नंबर 1001 के रकबा 1.31 हैक्टेयर को गैर मुमकिन जोहड दर्शाये जाने की प्रविष्टि को संशोधित करवाने हेतु कोई कार्यवाही सक्षम राजस्व प्राधिकारी के समक्ष किया जाना प्रकट होता है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी बी सिविल रिट पीटीशन नं. 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत विवादित प्लाट/दुकान गैर मुमकिन जोहड की भूमि में स्थित होने के कारण अतिक्रमी मानते हुये कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है और कार्यवाही किये जाने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर भी दिया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा विधि विरुद्ध रूप से तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किसी प्रकार की कार्यवाही प्रार्थी के विरुद्ध की जा रही है या प्रस्तावित है। धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन भी किसी प्राधिकारी द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही के संबंध में सिविल न्यायालय को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित करने से वर्जित किया गया है। जिसके कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दू प्रार्थी/वादी के विरुद्ध तय किया जाता है।

-सुविधा का संतुलन व अपूर्णाय क्षति-



10. सुविधा की दृष्टि से इन दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला न्यायालय द्वारा प्रार्थी/वादी के विरुद्ध तय किया गया है और प्रार्थी दिया गया नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अनुसार विवादित दुकान/प्लॉट को गैर मुमकिन जोहड की भूमि में स्थित होने के कारण अतिक्रमी मानते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी बी सिविल रिट पीटीशन नं. 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप नोटिस दिया जाकर विधिनुसार कार्यवाही की जा रही है और यह सुस्थापित है कि अतिक्रमी के विरुद्ध विधिनुसार की जा रही कार्यवाही के कारण उसे किसी प्रकार की असुविधा या क्षति होना नहीं माना जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू भी उपरोक्तानुसार प्रार्थी के विरुद्ध तय किए जाते हैं।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किए जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

- आदेश -

12. परिणामतः प्रार्थी गोरधन मित्तल की ओर से अप्रार्थीगण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(मोहन लाल)

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, चिड़ावा

13. आदेश आज दिनांक 15.05.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(मोहन लाल)

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, चिड़ावा